51/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.09.22	वकुलाय उप। स्थगन पत्रावली मूल अपील के साथ दिनांक 06.09.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) अति. जिला कलक्टर, पाली	
6/9/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी के, प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली में तुरन्त सुनवाई किये जाने बाबत जो शामिल मिसल हो तथा इनकी प्रतियां अधिवक्ता अप्रार्थीगण को दी गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा पत्रावली में जारी स्थगन आदेश के संबंध में बहस की गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण उनके पिता श्री फुलचंद के देहान्त के पश्चात दर्ज किया गया। जिसमें उनका नाम दर्ज नहीं किया जाकर, उनके भाई व बहनों के नाम दर्ज कर दिया गया, जिसकी उनको जानकारी नहीं दी गई। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रार्थी प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी होने के नाते उनका नाम प्रार्थी के पिता के फौतेदगी नामान्तरकरण में तहसीलदार रायपुर द्वारा स्वतः ही दर्ज कर दिया जाना चाहिए था, जो नहीं किया जाकर विधि विरूद्ध कृत्य कारित किया है, इस कारण जैर अपील नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही शून्य है। प्रार्थी को जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी होते ही, प्रार्थी द्वारा अपील न्यायालय में पेश की गई है, जिसे अन्दर म्याद शुमार की जावें, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश पेश करते हुए निवेदन किया कि कोविड–19 के कारण म्याद में दिनांक 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि में छुट दी गई है तथा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश अग्रिम आदेश तक रखा जावे अन्यथा अप्रार्थीगण द्वारा जैर अपील आराजी के मुल स्वरूप को बदल दिया जाएगा, उक्त आराजी का हस्तान्तरण या बेचाण किया जा सकता है तथा अगर ऐसा किया जाता है तो प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा एवं वाद बाहुल्यता बढ़ेगी। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि न्यायालय को प्रकरण में स्थगन आदेश पारित करने से पूर्व धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत म्याद के बिन्दु का निस्तारण किया जाना आवश्यक था। प्रार्थी द्वारा यह कहां जाना की उनको जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 10.08.2022 को हुई, यह तथ्य गलत है। जबकी प्रार्थी को वर्ष 2021 में माननीय सिविल न्यायालय जैतारण में घोषणा एवं विभाजन का दावा पेश किया, उसी समय जानकारी थी। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्टतया म्याद बाहर होने से अपील काबिल खारीज है तथा उक्त अपील में जारी स्थगन आदेश स्पष्टतया निरस्त योग्य है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस के पक्ष में न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।	

81/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उपभपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली एवं पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में अपील के संलग्न अपील प्रस्तुत करने हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश करने पर अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की गई। जैर अपील नामान्तरकरण प्रार्थी के पिता के देहान्त हो जाने पर, फौतेदगी नामान्तरकरण के रूप में दर्ज किया गया है। अतः जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो वहां पर म्याद के बिन्दु को गौण रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी के हक अधिकारो को ध्यान में रखते हुए, उनके द्वारा मूल अपील के साथ प्रस्तुत धारा 05 के प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

पत्रावली में जारी स्थगन आदेश के संबंध में तो यहॉ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा की न्यायालय द्वारा प्रकरण आवयश्क प्रकृति का परिलक्षित होने से बहस एकपक्षीय सुनी गई। जैर अपील नामान्तरकरण प्रार्थी के पिता श्री फुलचंद के देहान्त होने के पश्चात दर्ज किया गया है तथा उक्त नामान्तरकरण प्रार्थी के अलावा प्रार्थी के भाई एवं बहनों के नाम दर्ज किया गया है। नामान्तरकण के पीछे जो वंशावली बनाई गई है, उसमें प्रार्थी का नाम नहीं है, जबकि प्रार्थी श्री फुलचंद की संतान है। अतः मूल अपील का निस्तारण किये जाने से पूर्व इस स्थगन आदेश को निरस्त किया जाता है, तो निश्चित रूप से प्रार्थी द्वारा अपील किये जाने का प्रायोजन ही विफल हो जाएगा तथा वाद बाहुल्यता बढेगी, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः ग्राम पिपलिया कलां के नामान्तरकरण संख्या 2239 आदेश दिनांक 12.06.2015 के पालना एवं प्रभाव को मूल अपील में आदेश पारित होने तक स्थगित किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे जैर अपील आराजी के मौके तथा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे एवं जैर विवादित आराजी का किसी प्रकार का बेचान एवं हस्तान्तरण न तो स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर न्यायालय से नम्बर से कम हो। पत्रावली मूल अपील के संलग्न नत्थी हो।

अति. जिला कलक्टर पाली